राज्य प्रवेश परीक्षा-2019 की आन लाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा — 2019 में अर्ह अभ्यर्थी जून, 2019 के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल होंगेः

- काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड।
 ई०डब्ल्यू०एस० एवं टी०एफ०डब्ल्यू० क्लेम हेतु निवेदन / परिवर्तन
- 2. पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क भुगतान करने की सुविधा।
- 3. उपरोक्त दोनों चरणों के उपरांत केंद्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन सिमति द्वारा स्टेप 1, 1अ एवं 2 में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया प्रयेक चरण में नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों के पंजीयन के सापेक्ष सम्पादित की जाएगी।
- 4. सरल मोबाइल सन्देश (एस०एम०एस०)के माध्यम से सत्यापन का पुष्टिकरण।
- 5. सत्यापित एवं नवीन उम्मीदवारों द्वारा विकल्प निर्धारण (Choices Filling) ।
- 6. सीट आबंटन परिणामों की घोषणा।
- 7. अभ्यर्थी सीट स्वीकृति, एक्सेपटेन्स फीस जमा कर कर सकता है। उपलब्ध विकल्पः— फ्रीज / फ्लोट चरण (1), फ्रीज / फ्लोट चरण (2) एवं चरण (3), ऑटो फ्रीज चरण (4)
- 8. चरण (2) और (3) में सीट विथड़ॉल के विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 9. प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हेतु विकल्प (यदि सीट कन्फर्म हो गई है तो इसे प्रोविजनल एडिमशन लेटर माना जाएगा)
- 10. आबंटित संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग।

काउन्सिलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में करायी जायेगी:-

चरण-1

1. राज्य प्रवेश परीक्षा—2019 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु वेबसाइट www.upsee.nic.in के माध्यम से आन लाइन पंजीकरण पूर्ण करने के लिए काउन्सिलिंग फीस रु. 1000/— (नान रिफन्डेबेल) आनलाइन जमा करना होगा। आनलाइन पंजीकरण के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक अभिलेख/प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे, जिसका केन्द्रीय काउन्सिलिंग समिति के द्वारा वेरीफिकेशन किया जायेगा। वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों के रिजस्टर्ड मोबाइल पर एस०एम०एस० भेजा जायेगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी अपनी अर्हता के अनुसार संस्थान एवं ब्रांच का चयन करते हुए अधिक से अधिक विकल्प का चयन करेंगे।

2. अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तुत विकल्प/प्राथमिकताओं के आधार पर आन लाइन चालित विधि से सीट आबंटित हो जायेगी। सीट आवंटन का परिणाम निर्धारित तिथि पर वेबसाइट पर उपलब्ध/प्रदर्शित किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थियों को रु. 20,000/— (सामान्य एवं ओ०बी०सी०) तथा रु. 12,000/— (अनु० जाति/अनु० जनजाति) सीट स्वीकृति के लिए शुल्क जमा करना होगा। कन्फर्मेशन फीस जमा करने पश्चात् अभ्यर्थियों को आन लाइन फ्रीज या फ्लोट का विकल्प देना होगा। अगले चरण में जाने की विकल्प भी डिस्प्ले प्रदर्शित होगा।

फ्रीज— जो अभ्यर्थी अपनी सीट से संतुष्ट हैं और आगे किसी चरण में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं परन्तु उनकी सीट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है।

फ्लोट—जो अभ्यर्थी अपनी आबंटित सीट से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है और आगे सीट अपग्रेड के इच्छुक है, फ्लोट का विकल्प चुन सकते हैं।

जो अभ्यर्थी फ्रीज या पलोट का विकल्प नहीं देंगे उनके लिए फ्लोट का विकल्प डिफाल्ट मान लिया जायेगा।

चरण बद्ध आवंटन का विवरण अभ्यर्थी के लॉगिन से देखा जा सकता है।

अभ्यर्थियों को आबंटित सीट को आगे के चरणों में अपडेट किया जा सकता है आबंटित सीट को फ्रीज विकल्प के मामले में अभ्यर्थियों को आगे के राउण्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित सीट स्वीकृति फीस जमा नहीं की है तो उसे सीट छोड़ने / उसे काउंसिंलंग से बाहर माना जायेगा तथा उसे अगले चरणों में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

चरण-2

कौन अर्ह नहीं हैं'?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट स्वीकृति / पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान न किया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रमाणपत्र / अभिलेख सत्यापन के उपरांत अर्ह नहीं पाए गये हो।

कौन अर्ह है?

अर्ह अभ्यर्थी के चार समूह होंगे

ग्रुप-1 (नये अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया है वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रु० 1,000/— जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, उन अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया है तथा प्रथम राउण्ड में कोई विकल्प नहीं भरा है।

ग्रप-2 (फ्रीज अभ्यर्थी)

ऐसे अभ्यर्थियों को नये विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। पूर्व आबंटित सीट यथावत रहेगी तथा उनकी आबंटित श्रेणी में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

ग्रुप-3 (फ्लोट अभ्यर्थी)

- वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृति फीस जमा कर दी है परन्तु सीट फ्रीज नहीं की है।
- ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमित दी जायेगी। उनकी पिछले आबंटित सीट बरकरार रखी जायेगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो चरण-1 के विकल्प को चरण-2 के लिए अन्तिम माना जायेगा।

ग्रुप-4 (जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित हुयी है):

ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में कोई भी सीट आबंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई सीट आबंटित नहीं हुई थी, को विकल्पों का संशोधन करने की अनुमित होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो चरण—2 के लिए चरण—1 के विकल्प को अन्तिम विकल्प माना जायेगा।

चरण-2 में सीट आवंटन

ऊपर विभिन्न ग्रुपों के अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर बची हुई सीटों के सापेक्ष सीट आबंटित की जायेगी तथा उक्त आबंटित सीट का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

दूसरे चरण में सीटों में परिवर्तन नियम

पंजीकृत अभ्यर्थी को बिना सीट परिवर्तन के सीटों का आवंटन किया जायेगा।

आरक्षित उप वर्ग की सीटों को उनके मुख्य वर्ग में परिवर्तन निम्नवत् किया जायेगा:-

 $OP(GL)/OP(FF)/OP(PH)/OP(AF) \rightarrow OP$

 $SC(GL)/SC(FF)/SC(PH)/SC(AF) \rightarrow SC$

 $ST(GL)/ST(FF)/ST(PH)/ST(AF) \rightarrow ST$

 $BC(GL)/BC(FF)/BC(PH)/BC(AF) \rightarrow BC$

तदोपरांत पुनः सीट आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सभी आरक्षित उप वर्ग की सीटों को परिवर्तन करने के पश्चात् यदि कोई सीट उप वर्ग में उपलब्ध है तो परिवर्तन पुनः लागू किया जायेगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कोई आरक्षित उप वर्ग की सीट शून्य न हो जाए।

इस राउण्ड में अनु० जाति, अनु० जनजाति, ओ०बी०सी० एवं ई.डब्ल्यू.एस. सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

चरण —2 में सीट आवंटन के पश्चात्

- प्रथम चरण में सीट फ्रीज कर चुके अभ्यर्थी उसी वर्ग में सीट अपग्रेडेशन कर सकते हैं।
- जिन अभार्थियों द्वारा फ्लोट किया गया है वह अगले उच्च प्राथमिकता विकल्प के लिए अर्ह होंगे।
- प्रथम राउण्ड में जिन अभ्यर्थियों को सीट अवंटित नहीं की गयी थी, उनको दूसरे राउण्ड में सीट आबंटित हो सकती है।
- यदि ग्रुप –I एवं ग्रुप –IV ऐसे नए अभ्यर्थियों जिनको सीट आबंटित हुई है उन्हे सीट कन्फर्मेशन के लिए रू० 20,000/— (सामान्य एवं ओ०बी०सी०) तथा रू० 12,000/— (अनु० जाति/अनु० जनजाति) शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिसके बाद सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण सूचना जेनेरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगानेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- एक बार ग्रुप-III के आलरेडी फ्लोट अभ्यर्थियों को सीट आबंटित हो जाएगी तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को आबंटित सीट फ्रीज / फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने सीट स्वीकृति / पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करा दिया है, को अपना अभ्यावेदन विड्रा करने विकल्प मिलेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंकिंग सम्बन्धी सूचना भरने का विकल्प प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये

15000 / — एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 9000 / — वापिस किया जाएगाद्य इसके साथ ही सीट स्वीकृति / विड्रा की सूचना जेनेरेट हो जाएगी।

- साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगानेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी (ग्रुप –III) ने फ्रीज / फ्लोट का विकल्प नहीं दिया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 3 के स्वतः ही फ्लोट माना जायेगा।

चरण-3

कौन अर्ह नही है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट स्वीकृति / पुष्टिकरण शुल्क नहीं जमा किया है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र / अभिलेख सत्यापन के पश्चात् अर्ह नहीं पाये गये हों।

कौन अई हैं?

अर्ह अभ्यर्थी के चार समूह होंगे

ग्रुप–1 (नये अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया है वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रु० 1,000 / — जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया, उन अभ्यर्थियों को इस चरण में प्रतिभाग के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया है तथा पिछले चरणों में कोई विकल्प नहीं भरा है।

ग्रप-2 (फ्रीज अभ्यथी)

 ऐसे अभ्यर्थियों को नये विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। पूर्व आबंटित सीट यथावत रहेगी तथा उनकी आबंटित श्रेणी में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

ग्रुप-3 (फ्लोट अभ्यर्थी)

- वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृति फीस जमा कर दी है परन्तु सीट फ्रीज नहीं की है।
- ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमित दी जायेगी। उनकी पिछले आबंटित सीट बरकरार रखी जायेगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरणों में दिए गये विकल्प को चरण — 3 के लिए अंतिम विकल्प माना जायेगा।

ग्रुप-4 (जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित हुयी है):

ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में कोई भी सीट आबंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई सीट आबंटित नहीं हुई थी, को विकल्पों का संशोधन करने की अनुमित होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरणों में दिए गये विकल्प को चरण — 3 के लिए अंतिम विकल्प माना जायेगा।

चरण-3 में सीट आंवटन

उपर्युक्त सभी ग्रुप के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विकल्पों के आधार पर रिक्त सीटों पर केन्द्रीयकृत आबंटन कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

चरण-3 में सीटों का परिवर्तन नियम

सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण में बिना किसी परिवर्तन के सीट आवंटन किया जायेगा।

अनुसूचित जनजाति (ST) सीट को अनुसूचित जाति (SC) सीट में परिवर्तन कर पुनः सीट का आवंटन।

उपरोक्तानुसार सभी प्रकार की सीट के परिवर्तन करने उपरान्त अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई रिक्त सीट उपलब्ध है तो उसका परिवर्तन कर निर्धारित नियमों का पालन किया जायेगा। इस प्रक्रिया का तब तक पालन किया जायेगा जब तक अनुसूचित जनजाति वर्ग में सीट शून्य नहीं हो जाती।

तत्पश्चात् अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सीटों को सामान्य वर्ग में परिवर्तन निम्नवत् किया जायेगा

अनुसूचित जाति (SC) सामान्य वर्ग (Open)

पिछड़ा वर्ग (OBC) सामान्य वर्ग (Open)

तदोपरांत सीटों को पुनः आवंटन किया जायेगा

- सभी वर्गों की सीटों को परिवर्तन करने के बाद (उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार)
 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में यदि कोई सीट उपलब्ध हो तो उनके परिवर्तन का नियम फिर से पलान करना होगा और इस प्रक्रिया का पालन तब तक किया जायेगा जब तक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में सीट शून्य नहीं हो जाती है।
- अन्तिम रूप में सभी सीट केवल सामान्य वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग में उपलब्ध होंगी।
- इस राउण्ड में TFW (फी-वेवर) सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

चरण-3 में सीटों के आवंटन के बाद

- चरण—1 एवं चरण—2 की फ्रीज सीट को उसी सीट पर कैटेगरी अपग्रेडेशन किया जा सकता है।
- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थियों को उनके अन्तिम विकल्पों के अनुसार अगली उच्च प्राथमिकता की सीट में अपग्रेड किया जा सकता है।
- पूर्व चरणों के अभ्यर्थियों को जिनको कोई सीट आबंटित नहीं हुई थी इस चरण में सीट मिल सकती है।
- यदि ग्रुप –I एवं ग्रुप –IV ऐसे नए अभ्यर्थियों जिनको सीट आबंटित हुई है उन्हें सीट कन्फर्मेशन के लिए रू० 20,000/— (सामान्य एवं ओ०बी०सी०) तथा रू० 12,000/— (अनु० जाति/अनु० जनजाति) शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिसके बाद सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण सूचना जेनेरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगनेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- एक बार ग्रुप—प्प के आलरेडी फ्लोट अभ्यर्थियों को सीट आबंटित हो जाएगी तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को आबंटित सीट फ्रीज / फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने सीट स्वीकृति / पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करा दिया है, को अपना अभ्यावेदन विड्रा करने विकल्प मिलेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंकिंग सम्बन्धी सूचना भरने का विकल्प प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 10000 / एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 6000 / वापिस किया जाएगा। इसके साथ ही सीट स्वीकृति / विड्रा की सूचना जेनेरेट हो जाएगी।
- साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगनेश भी प्रदर्शित की जाएगी।

• यदि अभ्यर्थी (ग्रुप दृष्ण) ने फ्रीज / फ्लोट का विकल्प नहीं दिया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 4 के स्वतः ही फ्लोट माना जायेगा।

राउंड 4

कौन अर्ह नहीं है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 1 अथवा 2 अथवा 3 में **आवंटन के उपरांत** सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान नहीं किया था।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकोऑनलाइन प्रमाणपत्र / अभिलेख सत्यापन के बाद अर्ह नहीं पाए गए हों।

कौन अई है?

अर्ह अभ्यर्थी के तीन समूह हैं:

ग्रुप— I (फ्रीज अभ्यर्थी): ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों को संशोधित करने की अनुमित नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की पहले से आबंटित सीट को यथावत रखा जाएगा; हालाँकि उनकी आबंटित वर्ग को नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

गुप— II (फ्लोट अभ्यथी): ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्प संशोधित / चयन करने की अनुमित नहीं होगी। उनकी पहले से आबंटित सीट को यथावत रखा जाएगा। साथ ही उन्हें सीट अपग्रेडेशन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो पहले के चरणों में आबंटित विकल्प को अंतिम माना जाएगा।

ग्रुप— III (अभ्यर्थी जिन्हें कोई सीट आबंटित नहीं हुई): ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले तीन चरणों में कोई सीट आबंटित नहीं हुई है यी थी, उन्हें यथावत विकल्पों में सीट आवंटन के लिए अई माना जाएगा।

चरण – 4 सीट अलॉटमेंट

- उपलब्ध विकल्पों को रिक्त सीटों के सापेक्ष केंद्रीय रूप से संशोधित किया जाएगा।
- इस चरण के सीट आबंटन परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जायेंगेद्य

चरण 4 के सीट परिवर्तन नियम

• चरण 3 की समस्त रिक्त बची सीटें केवल ओपन(Open) श्रेणी में उपलब्ध होंगी।

- चरण 4 के सीट आवंटन के उपरांत चरण 1 अथवा 2 अथवा 3 में अभ्यर्थी द्वारा फ्रीज सीट को (Category Upgradation) श्रेणी उन्नयन के लिए आबंटित सीट पर अपग्रेड किया जा सकता है।
- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम विकल्पों पर अगली उच्च वरीयता वाली सीट पर अपग्रेड किया जा सकता है।
- पिछले चरणों में जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित नहीं हुयी है ऐसे अभ्यर्थियों को इस चरण में सीट मिल सकती है।
- (ग्रुप— III) के अभ्यर्थी को एक बार सीट आबंटन कर दिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सीट फ्रीज करने का विकल्प होगा, ऐसे अभ्यर्थी को रुपये 20000/— (सामान्य और ओबीसी) / रूपये 12000/— (एससी और एसटी) सीट स्वीकृति शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। सीट स्वीकृति के उपरांत सीट कन्फर्मेशन की सूचना जनरेट होगी।
- (ग्रुप— II) के अभ्यर्थी जोकि ऑलरेडी फ्लोट सीट पर हैं की नवीन आबंटित ब्रांच को ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत सीट कन्फर्मेशन की जानकारी जनरेट हो जाएगी।
- सीट स्वीकृति अथवा सीट पुष्टिकरण शुल्क रूपये 20000/— (सामान्य / ओबीसी—एनसीएल) तथा रूपये 12000 (एससी / एसटी) हेतु सीट आबंटन के उपरांत संस्थान को स्थानांतिरत / समायोजित किया जाएगा। केवल चरण 2 एवं चरण 3 में ही रिफंड / विड्रा का प्रावधान होगा, यदि कोई अभ्यर्थी चरण 2 तथा चरण 3 में विड्रा नहीं करता है तो ऐसी दशा में रिफंड हेतु पात्र नहीं होगा।

स्पॉट राउंड काउंसलिंग (सरकारी / अनुदानित संस्थानो हेतु)

कौन अर्ह नहीं है?

ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउन्सलिंग के पिछले 4 चरणों तक सीट फ्रीज/ ऑटो फ्रीज हो। समस्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट आबंटित की गयी और उन्होंने सीट स्वीकृति / पुष्टिकरण शुल्क भुगतान किया हो और काउंसलिंग के चरण 2 अथवा चरण 3 में विड्रा न किया हो।

कौन अई है?

ऐसे समस्त अभ्यर्थी, उन अभार्थियों को छोड़कर जिन्हें अर्ह नहीं पाया गया हो।

सीट आवंटन

सरकारी / अनुदानित संस्थानों में भौतिक रिपोर्टिंग के उपरांत रिक्त बची सीटों पर केवल ओपन (Open) श्रेणी में सीट आबंटन हेतु उपलब्ध होंगी।

Tentative Schedule for UPSEE Counselling (All Programmes Except M Tech/M Arch/M Pharm/M Des)

Round	Event	Start Date	End Date
1	Registration and Paymnet of Fee	26-06-2019	02-07-2019
		11:00	23:59
1	Document Verification	27-06-2019	03-07-2019
		11:00	12:00
1	Online Choice Locking	29-06-2019	04-07-2019
		15:00	09:00
1	Seat Allotment	04-07-2019	
1		15:00	
1	Online Willingness (Freeze/Float)	04-07-2019	07-07-2019
1		15:00	23:59
1	Payment of Seat Confirmation (20000/12000)	04-07-2019	07-07-2019
1		15:00	23:59
1	Physical Reporting of Freeze Seat Candidates at PI	05-07-2019	29-07-2019
1		10:00	17:00
2	Registration and Payment of Fee (Fresh Candidates)	08-07-2019	12-07-2019
2		11:00	23:59
2	Document Verification	08-07-2019	13-07-2019
	Document vermeation	11:00	14:00
2	Online Choice Locking	08-07-2019	14-07-2019
		11:00	23:59
2	Seat Allotment	15-07-2019	
		15:00	
2	Online Willingness (Freeze/Float)	15-07-2019	19-07-2019
		15:00	23:59
2	Payment of Seat Confirmation (20000/12000)	15-07-2019	19-07-2019
		15:00	23:59
2	Online Withdrawal (Refund 15000/9000)	15-07-2019	20-07-2019
		15:00	08:00
2	Physical Reporting of Freeze Seat Candidates at PI	16-07-2019	29-07-2019
		10:00	17:00
3	Registration and Payment of Fee (Fresh Candidates)	20-07-2019	21-07-2019
		11:00	23:59
3	Document Verification	21-07-2019	22-07-2019
<u> </u>		10:00	17:00
3	Online Choice Locking	21-07-2019	23-07-2019
<u> </u>		10:00	09:00
3	Seat Allotment	23-07-2019	
		15:00	
3	Online Willingness (Freeze/Float)	23-07-2019	25-07-2019
		15:00	23:59
3	Payment of Seat Confirmation	23-07-2019	25-07-2019
		15:00	23:59

Round	Event	Start Date	End Date
3	Online Withdrawal (Refund 10000/6000)	23-07-2019	26-07-2019
		15:00	09:00
3	Physical Reporting of Freeze Seat Candidates at PI	26-07-2019	29-07-2019
		10:00	17:00
4	Seat Allotment	26-07-2019	
		15:00	
4	Payment of Seat Confirmation (20000/12000)	26-07-2019	27-07-2019
		15:00	23:59
4	Physical Reporting of Freeze Seat Candidates at PI	27-07-2019	29-07-2019
		10:00	17:00
	Internal Sliding in Govt Colleges	30-07-2019	
	Seat vacancy For Spot Round	31-07-2019	
S1	Registration for Spot Round 1	01-08-2019	05-08-2019
31		11:00	23:59
S1	Spot Counseling 1	08-08-2019	
21		10:00	
S2	Registration for Spot Round 2	10-08-2019	12-08-2019
		11:00	23:59
S2	Spot Counseling 2	14-08-2019	
		10:00	

Academic Session Starts 27 July 2019